

## जिला खनन् कार्यालय, बोकारो।


एतद् द्वारा सर्वसाधारण को झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के नियम 46 के प्रावधानों के तहत सूचित किया जाता है कि निम्नांकित क्षेत्र जो पूर्व में दिलिप बिल्डकॉन लिमिटेड, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री विमलकांत शुक्ला, वल्द श्री राधे श्याम शुक्ला, स्थायी पता-चुना भट्टी, कालार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश, स्थानीय पता-फुसरो रोड, पो0-जैनामोड़, थाना-जरीडीह, जिला-बोकारो के द्वारा पत्थर खनन् पट्टा धारित था को पट्टा परिसमाप्ति के उपरान्त खनन् पट्टा पुनः बन्दोवस्ती हेतु रिक्त है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार खनन् पट्टा की स्वीकृति हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार का पर्यावरणीय स्वीकृति अनिवार्य है।

इच्छुक व्यक्ति इस विज्ञापन के जिला गजट में प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के पश्चात् खनन् पट्टा की स्वीकृति हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं।

विशेष जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

### क्षेत्र का विवरण

मौजा - चरगी, थाना - पेटरवार, जिला - बोकारो।  
खाता नं0-16, 46, 44, 73, प्लॉट नं0 - 10, 05, 06, 09  
रकबा - 9.84 एकड़

  
जिला खनन् पदाधिकारी,  
बोकारो।

## जिला खनन् कार्यालय, बोकारो ।

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के नियम 46 के प्रावधानों के तहत सूचित किया जाता है कि निम्नांकित क्षेत्र जो पूर्व में दिलिप बिल्डकॉन लिमिटेड, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री विमलकांत शुक्ला, वल्द श्री राधे श्याम शुक्ला, स्थायी पता—चुना भट्टी, कालार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश, स्थानीय पता—फुसरो रोड, पो0—जैनामोड़, थाना—जरीडीह, जिला—बोकारो के द्वारा पत्थर खनन् पट्टा धारित था को पट्टा परिसमाप्ति के उपरान्त खनन् पट्टा पुनः बन्दोवस्ती हेतु रिक्त है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार खनन् पट्टा की स्वीकृति हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार का पर्यावरणीय स्वीकृति अनिवार्य है।

इच्छुक व्यक्ति इस विज्ञापन के जिला गजट में प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के पश्चात् खनन् पट्टा की स्वीकृति हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं।


विशेष जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

### क्षेत्र का विवरण

मौजा — नावाडीह, थाना — पेटरवार, जिला — बोकारो।

खाता नं0—01, 110, 111, 145, प्लॉट नं0 — 656, 653, 654, 630, 644, 651, 658(अंश), 650, 655(अंश), 657(अंश), 652, 660, 659, 631

रकबा — 9.80 एकड़

  
जिला खनन् पदाधिकारी,  
बोकारो।